संख्या-3/2026 /001-139-2026-1890657-12-2099-27-2025

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांकः 19 फरवरी, 2026

विषयः- उत्तर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति-2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क संचालन की परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस0एफ0/1824-जी/सीड पार्क/2025-26 दिनांक 02 फरवरी, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 में अनुमोदित लागत के सापेक्ष जनपद लखनऊ में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र अटारी में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह सीड पार्क की स्थापना हेतु रूपये 145.25 करोड (एक अरब पैंतालिस करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-0404-30प्र0 बीज स्वावलम्बन नीति-2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास की परियोजना के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि **25075.00** लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रूपये 5083.75 लाख एवं मानक मद **42**-अन्य व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि **50.00** लाख के सापेक्ष रूपये **50.00** लाख अर्थात कुल धनराशि **5133.75** लाख (रूपया इक्यावन करोड़ तैंतीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

शर्तें/प्राविधान

1. कृषि निदेशक, 30प्र0/कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
2. प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के कार्यवृत्त कोड 24/31-12-2025(25-26) दिनांक 05 जनवरी, 2026 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 का होगा।
4. प्राविधानों को यथावत मानते हुए प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीयकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकति से पूर्व प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कृषि निदेशक, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था की होगी।
7. जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा।
8. धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो ब्याज निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराये जाने का दायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
10. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक, उ0प्र0 का उत्तरदायित्व होगा।
11. वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।
12. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
15. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
16. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।
17. आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
18. अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
19. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्याकतानुसार किया जायेगा।
20. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययियता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा
21. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की गाइड-लाईन्स/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
22. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
23. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृति न हो।
24. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा।
25. कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में रक्षित नही की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 50,83,75,000 (रुपये पचास करोड़ तिरासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 4401001030404 उत्तर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति 2024 के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 4401001030404 उत्तर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति 2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-239-X-2025-26 दिनांक: 13-2-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-3(1)/2026 /001-139-2026-1890657-12-2099-27-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 31–12–2025 का कार्यवृत्त

(12)– जनपद लखनऊ में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र अटारी में स्थित चौधरी चरण सिंह सीड पार्क की स्थापना से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन प्रस्ताव (प्रस्तावित लागत रू0 165.77 करोड़)

अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 31–12–2025 को आहूत की गयी। बैठक में प्रायोजना से सम्बन्धित निम्नवत् अधिकारी उपस्थित हुये:–

1. श्री रविन्द्र, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. श्री अनिल कुमार सिंह, विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री के0के0 श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (पी0एम0जी0एस0वाई0), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4. श्री जी0एन0 सिंह, अधीक्षण अभियंता, यूपीडा।
5. श्री नीरज वर्मा, अधिशासी अभियंता, यूपीडा।
6. श्री बृजेश यादव, निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, उ0प्र0।

2. प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना का समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया तथा प्रस्तुतीकरण में निम्नवत् अवगत कराया गया:–

2.1 जनपद लखनऊ में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र अटारी में स्थित चौधरी चरण सिंह सीड पार्क की स्थापना से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन प्रस्ताव (प्रस्तावित लागत रू0 165.77 करोड़) व्यय वित्त समिति के विचारार्थ संदर्भित किया गया है।

2.2 राजकीय कृषि प्रक्षेत्र अटारी में प्रस्तावित सीड पार्क में अवस्थापना विकास कार्य हेतु टाउन प्लानिंग व आगणन का कार्य राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसी उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा किया गया है।

2.3 प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन आबद्ध परामर्शी संस्था द्वारा तैयार किया गया है, जो अधिशासी अभियंता, यूपीडा, लखनऊ, अधीक्षण अभियंता, यूपीडा, लखनऊ एवं मुख्य अभियंता, यूपीडा, लखनऊ, द्वारा परीक्षित व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा संस्तुत है। प्रायोजना का प्रस्ताव/आगणन प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित है।

2.4 प्रायोजना का वित्त पोषण वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान सं0–11 के लेखाशीर्षक–4401–फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय–103–बीज –0404 उ0प्र0 बीज स्वालम्बन नीति 2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए रू0 25125.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

2.5 प्रायोजना की आवश्यकता एवं औचित्य के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि यूपीडा द्वारा विकसित किये प्रदेश को स्वयं की आवश्यकता के बीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर करने व अन्य राज्यों के लिए बीज का उत्पादन करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश में पांच सीड पार्क मध्य, पश्चिमी, तराई, बुन्देलखण्ड एवं पूर्वी जोन में स्थापित किये जाने की योजना है। इसमें सर्वप्रथम मध्य जोन में लखनऊ जनपद में स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र अटारी की भूमि, जो राजस्व ग्राम शाहमऊ, नौबस्ता व रूदान खेड़ा में स्थित है, पर सीड पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम सीड पार्क की सफलता के आधार पर अन्य 4 सीड पार्क स्थापित किये जायेंगे। सीड पार्क की स्थापना का उद्देश्य प्रदेश में बीज उत्पादक संस्थाओं को अपना कार्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अतः सीड पार्क में संस्थाओं को भूमि रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

बीज व्यवसाय स्थापित करने वाले उद्यमियों कंपनियों को सीड पार्क में भूमि का आवंटन लीज के आधार पर किया जाएगा, जो कि प्रथम चरण में तीस वर्षों के लिए होगी। आवश्यकतानुसार लीज 30-30 वर्षों की अवधि के लिए चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जा सकेगी, जो अधिकतम 90 वर्षों तक होगी। तदोपरान्त परियोजना के क्रियात्मकता की स्थिति कुछ भी होने पर उक्त भूमि समस्त भार (इन्कम्बेंस) से मुक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

राज्य सरकार को वापस कर दी जायेगी। सीड पार्क में उद्यमियों/कंपनियों को भूमि आवंटन का कार्य कृषि विभाग एवं यूपीडा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्लाट का आकार निर्धारित किया जाएगा।

यूपीडा द्वारा संचालित उपरोक्त सीड पार्क में अवस्थापना विकास कार्य के अन्तर्गत सड़क, आर0सी0सी0, नालियॉ, आर0सी0सी0 कल्वर्ट, प्रशासनिक भवन, फायर स्टेशन, टायलेट ब्लाक, वेस्ट मैनेजमेन्ट ब्लाक एवं पम्प रूम, पार्क, बाउण्ड्रीवाल, वाटर सप्लाई लाइन, फैन्सिंग, इलेक्ट्रीसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण आदि विकास कार्यों हेतु संदर्भित प्रायोजना का गठन किया गया है।

2.6 जनपद लखनऊ में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र अटारी में क्षेत्रफल 130.63 एकड़ भूमि पर सीड पार्क की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध है।

2.7 यूपीडा द्वारा एम0एस0ए0 40 एवं अनुमानित सी0बी0आर0 8 प्रतिशत के आधार पर प्रस्तावित 02/04 लेन मार्ग का निर्माण आई0आर0सी0 37–2018 के डिजाइन ट्रैफिक के अनुसार मार्ग की कस्ट 20 वर्ष हेतु प्रस्तावित की गयी है। मार्ग निर्माण हेतु कन्वेंशनल मेथड का प्रयोग किया गया है। मार्ग के कस्ट डिजाइन का वितरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	सीड की कुल लम्बाई (मी0)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर)	प्रस्तावित कस्ट (एम0एम0)	कुल कस्ट थिकनेस
1	1245.48	38 M ROW (7.50 M Wide Carriage way, 1 M Paved Shoulder) +Pedestrian Access	GSB- 200 WMM- 250 DBM – 105 B.C.- 40	595
2	2477.24	24 M ROW (2X7.50 M Wide Carriage way, 2 M Median)+Pedestrian Access	GSB- 200 WMM- 250 DBM – 105 B.C.- 40	595
3	450	24 M ROW Wide Approach Road (2X7.50 M Wide Carriage way, 2 M Median)+Pedestrian Access	GSB- 200 WMM- 250 DBM – 105 B.C.- 40	595

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।

2.8 प्रायोजनान्तर्गत निम्नवत् अन्य प्रावधान किये गये हैं:-

S.No	Item	Unit	Quantity
A	ROAD WORKS		
1	18 M wide ROW (Carriage Way 7.5m, 1 m Paver Shoulder Both Side, Pedestrain Access 2.85 m Both Side & 2.4 m Wide Landscape & 0.4 m Wide Landscape) (SG - 500mm, GSB - 200mm, WMM - 250mm, DBM - 105mm, BC - 40mm)	M	1245.48
2	24 M wide ROW(Carriage Way 7.5m Both Side, Median 2m, Pedestrain Access 3.5 m Both Side) (SG - 500mm, GSB - 200mm, WMM - 250mm, DBM - 105mm, BC - 40mm)	M	2477.24
3	24 M wide ROW Approach Road Work Carriage Way 7.5m Both Side, Median 2m, Pedestrain Access 3.5 m Both Side) (SG - 500mm, GSB - 200mm, WMM - 250mm, DBM - 105mm, BC - 40mm)	M	450.00
4	MEDIAN		
a	2 M WIDE MEDIAN	Rmt	2634.50
5	Culvert - SIZE (24.0 m x 8 m x 3 m)	Nos	2
6	Storm Water Drain - SIZE (1500 X 1500)=7624 M	Rmt	7624.00
7	SERVICE (MEP) TRENCH (2x2.5 Box Trench)	Rmt	8345.44
B	BUILDING WORKS		
1	ADMINISTARTIVE BUILDING (G+2)		
a	GROUND FLOOR	SQM	1200.00
b	FIRST FLOOR	SQM	1000.00
c	SECOND FLOOR	SQM	700.00
	TOTAL AREA	SQM	2900.00
2	FIRE STATION (Covered Area (G+1)		
a	GROUND FLOOR	SQM	606.30
b	FIRST FLOOR	SQM	508.60
	TOTAL AREA	SQM	1114.90
3	TOILET BLOCK (G)	SQM	140.00
4	WASTE MANAGEMENT BLOCK (G)	SQM	220.00
5	PUMP ROOM (G)	SQM	150.00
6	GATE - 24 M WIDE	NO'S	1.00
C	EXTERNAL DEVELOPMENT WORKS		
1	LANDSCAPING (Total Area = 37031 Sqm)	SQM	37031.00
2	PARK- BOUNDARY WALL (495 M Length)	M	495
3	CHOURAHA'S (01 Nos)	Nos	1.00
4	EXTERNAL SIGNAGES		
a	60 Sqft	Nos	1
b	1.5m X 1.8mm	Nos	5
c	1.2m X 4m	Nos	20
5	OVER HEAD TANK (1 NOS. 300 KLD)	Nos	1.00
6	EXTERNAL WATER SUPPLY WORKS	M	12000.00
D	UPPCL Deposit Work		
1	CONSTRUCTION OF 33/11 KV, 2x10 MVA SUB-STATION FOR Seed Park Shahmau, Malihabad, LUCKNOW.	Job	1
2	Construction of 33 KV O/H & U/G Line from 132 KV S/S Bharawan, Hardoi to Proposed New 33/11 KV Substation Seed Park, Sahamau Nawabia, Lucknow.	Job	1
3	Construction of 11 KV Underground Line for proposed 33/11 KV S/s Seed Park Shahmau Nawbasta Mall Lucknow under Deposit Scheme.	Job	1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

2.9 प्रायोजना की प्रस्तावित लागत रू0 165.77 करोड़ के सापेक्ष प्रभाग द्वारा लागत रू0 145.53 करोड़ आंकलित की गयी है।

2.10 समिति को आश्वस्त किया गया कि प्रायोजना का निर्माण कार्य 18 माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा तथा टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

3- समिति की अपेक्षा पर प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश सं0 -45/2025/589/2025/1890657/12-2099/27/2025, दिनांक 28 मई, 2025 द्वारा राजकीय कृषि प्रक्षेत्र अटारी में स्थापित किये जा रहे चौधरी चरण सिंह मीड पार्क के लिए यूपीडा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

4- समिति को अवगत कराया गया कि प्रायोजना का निर्माण ग्रीन फील्ड पर किया जाना प्रस्तावित है। प्रायोजना में मार्ग निर्माण हेतु कन्वेन्शनल मेथड के अनुसार क्रस्ट डिजाइन प्रस्तावित की गयी है। जबकि यूपीडा द्वारा ग्रीन फील्ड पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में एक्सप्रेसवे के सन्निकट निर्मित की जाने वाली आई0एम0एल0सी0 के अन्तर्गत एफ0डी0 आर0 टेक्नोलाजी का प्रयोग किया गया है, जिसमें डी0बी0एम0 की थिकनेस 60 एम0एम0 प्रस्तावित की गयी है। जबकि कन्वेन्शल मेथड के अन्तर्गत प्रायोजना में डी0बी0एम0 की थिकनेस 105 एम0एम0 प्रस्तावित की गयी है। अतः इस प्रायोजना में भी अन्य ग्रीन फील्ड प्रायोजनाओं की भाँति एफ0डी0आर0 टेक्नोलाजी का प्रयोग किया जाना औचित्यपूर्ण होगा। उक्त पर प्रशासकीय विभाग/यूपीडा द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। तत्क्रम में समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि एफ0डी0आर0 टेक्नोलाजी के अनुसार लागत को संशोधित कर दिया जाये। उक्त के क्रम में प्रायोजना की प्रस्तावित लागत रू0 165.77 करोड़ के सापेक्ष प्रभाग द्वारा संशोधित लागत रू0 145.25 करोड़ आंकलित की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।

5— सम्यक् विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा प्रायोजना को प्रस्तावित लागत रू0 165.77 करोड़ के सापेक्ष संशोधित लागत रू0 145.25 करोड़ पर अनुमोदित किया गया। लागत विवरण निम्नवत् है:-

(Rs. In Lacs)

S. No.	ITEM OF WORK	UNIT	PROPOSED COST			EFC APPROVED COST		
			QTY.	RATE (Rs.)	AMOUNT	QTY	RATE (Rs.)	AMOUNT
A	ROAD WORK							
(I)	INTERNAL ROAD WORK							
1	Clearing and grubbing road land including uprooting wild vegetation, grass, bushes, shrubs, saplings and trees of girth upto 300 mm, removal of stumps of such trees cut earlier and disposal of unserviceable materials and stacking of serviceable material to be used or auctioned, upto a lead of 1000 m including removal and disposal of top organic soil not exceeding 150 mm in thickness as per Technical Specification Clause 201	Sqm	48990.65	20.70	10.14	24495.33	20.70	5.07
2	Excavation in Soil with Dozer with lead upto 1000 metres							
	Excavation for road way in soil by mechanical means including cutting and transporting the earth to site of embankment/dumping area with lead upto 1000 metres, including trimming bottom and side slopes in accordance with requirements of lines, grades and cross sections.	Cum	14697.20	69.39	10.20	14697.20	69.39	10.20
3	Construction of embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 1000 m as per Technical Specification Clause 305	Cum	3918.64	349.30	13.11	3591.96	188.00	6.75
4	Construction of Sub-grade with approved material obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacted to meet requirement of Table 300.2 with lead up to 3000m as per Technical Specification Clause 303.1	Cum	24495.33	344.70	84.44	24495.33	189.30	46.37
5	Construction of granular sub-base by providing close graded Material, mixing in a mechanical mix plant at OMC, carriage of Mixed material to work site, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface, mixing by mix in place method with front end loader at OMC, and compacting with vibratory roller to achieve the desired density, complete a per clause 401	Cum	9798.13	4514.00	442.29	7348.60	4481.20	329.31
6	Providing laying spreading and compacting graded stone aggregate to wet mix macadam specification including premixing the Material with water at OMC in mechanical mix plant carriage of mix plant carriage of mixed Material by tipper to site, laying in uniform layers with grader in sub - base / base course on well prepared	Cum	12247.67	4898.00	599.89			0.00

(Rs. In Lacs)

S. No.	ITEM OF WORK	UNIT	PROPOSED COST			EFC APPROVED COST		
			QTY.	RATE (Rs.)	AMOUNT	QTY	RATE (Rs.)	AMOUNT
	surface and compacting with vibratory roller to achive the desired density							
7	Laying of Granular sub-base by providing well-graded material, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface	Cum			0.00	9602.17	4410.20	423.47
8	Laying of finner material with PI less than 10 and Free swell Index less than 85% and with CBR of minimum 7 %	Cum			0.00	4115.22	245.20	10.01
9	Stabilization of in-situ (pavement crust) or soil or otherwise sub base/ base course up to the required depth by cold in-situ recycling using cement and chemical additives / otherwise. Providing pulverising, spreading, milling and mixing of chemical additives at the appropriate rate as per job mix design in accordance with IRC-SP-72-2015 , IRC-37-2012 & 2018 and IRC SP 89 (part II) 2018. (Min thickness of FDR shall not be less than the thickness mentioned in DPR, However FDR Thickness will be based on Design Mix.)	Cum			0.00	13717.38	2798.04	383.13
10	Providing and laying Primer coat with Bitumen emulsion (SS-1) on prepared surface of granular base including clearing of road surface and spraying primer at the rate of 0.70-1.0 kg/Sqm using mechanical means as per technical Specification Clause 502	Sqm	48990.66	85.80	42.03	48990.66	42.70	20.92
11	Providing and applying tack coat with Bitumen emulsion (VG-10) using emulsion Distributor at the 0.20-0.25 kg per sqm on the prepared Bituminous/Granular Surface cleaned with hydraulic broom as per Technical Specification -503	Sqm	48990.66	12.40	6.07	48990.66	12.40	6.07
12	Providing and laying paving fabric with physical requirements as per Table 700-16 over a tack coat of paving grade Bitumen 80-100 penetration, laid at the rate of 1 Kg/sqm over thoroughly cleaned and repaired surface to provide a water resistant membrance and crack retarding layer. Paving fabric to be free of wrinkling and folding and to be laid before cooling of tack coat, brooming and rolling of surface with pneumatic roller to maximize paving fabric contact with pavement surface.	Sqm			0.00	48990.66	284.80	139.53
13	Dense Graded Bituminous Macadam (Providing and laying dense bituminous macadam with 100-120 TPH batch type HMP producing an average output of 75 tonnes per hour using crushed aggregates of specified grading, premixed with bituminous binder @ 4.0 to 4.5% by weight of total mix of mix and filler, transporting the hot mix to work site, laying with a hydrostatic paver finisher with sensor control to the required grade, level and alignment, rolling with smooth wheeled, vibratory and tandem rollers to achieve the desired compaction as per MoRTH specification clause No. 507 complete in all respects.)	Cum	5144.02	12256.80	630.60	2939.44	12230.20	359.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

(Rs. In Lacs)

S. No.	ITEM OF WORK	UNIT	PROPOSED COST			EFC APPROVED COST		
			QTY.	RATE (Rs.)	AMOUNT	QTY	RATE (Rs.)	AMOUNT
14	Providing and laying bituminous concrete with 100-120 TPH batch type hot mix plant producing an average output of 75 tonnes per hour using crushed aggregates of specified grading, premixed with bituminous binder @ 5.4 to 5.6 per cent of mix and filler, transporting the hot mix to work site, laying with a hydrostatic paver finisher with sensor control to the required grade, level and alignment, rolling with smooth wheeled, vibratory and tandem rollers to achieve the desired compaction as per MORTH specification clause No. 509 complete in all respects	Cum	1959.68	14481.80	283.79	1959.68	14452.80	283.22
15	Providing and fixing of retro-reflectorised cautionary, mandatory and informatory sign as per IRC:67 made of encapsulated lens type reflective sheeting vide Clause 1701.2.3 fixed over aluminium sheeting, 1.5 mm thick supported on a mild steel angle iron post 75 mm x 75 mm x 6 mm firmly fixed to the ground by means of properly designed foundation with M15 grade cement concrete 450 mm x 450 mm x 600 mm, 600 mm below ground level as per drawings and Technical Specification Clause 801. (RA-17)							
i	Hazard Markers	Nos.	150	4789.89	7.11	349.91	4739.89	7.11
ii	Delineator	Nos.	2453	1183.00	29.87	0.00	1183.00	0.00
iii	Warning Signs	Nos.	74	5453.68	4.06	74.45	5453.68	4.06
iv	Stop Sign (300mm Octagonal)	Nos.	25	8326.68	2.07	24.82	8326.68	2.07
v	Chevron Signs	Nos.	19	5007.56	0.93	18.61	5007.56	0.93
vi	Mandatory Signs 600 mm	Nos.	30	4855.88	1.45	29.78	4855.88	1.45
16	Providing and laying of hot applied thermoplastic compound 2.5 mm thick including reflectorising glass beads @ 250 gms per sqm area, thickness of 2.5 mm is exclusive of surface applied glass beads as per IRC:35. The finished surface to be level, uniform and free from streaks and holes	Sqm	1396.02	618.00	8.63	1396.02	618.00	8.63
17	Providing and fixing of road stud (Cat Eye) 100 x 100 mm die cast in aluminium, resistant to corrosive effect of salt and grit, fitted with lense reflectors, installed in concrete or asphaltic surface by drilling holes 30 mm upto a depth of 600 mm and bedded in a suitable bituminous grout or epoxy mortar, all as per BS:873 (Part 4) 1973.	Nos.	10888.81	283.79	30.90	1380.00	283.79	3.92
(II)	EXTERNAL APPROACH ROAD							
18	Clearing and grubbing road land including uprooting wild vegetation, grass, bushes, shrubs, saplings and trees of girth upto 300 mm, removal of stumps of such trees cut earlier and disposal of unserviceable materials and stacking of serviceable material to be used or auctioned, upto a lead of 1000 m including removal and disposal of top organic soil not exceeding 150 mm in thickness as per Technical Specification Clause 201	Sqm	6750.00	20.70	1.40	3375.00	20.70	0.70
19	Excavation in Soil with Dozer with lead upto 1000 metres							
	Excavation for road way in soil by	Cum	2025.00	69.30	1.41	2025.00	69.30	1.41

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

(Rs. in Lacs)

S. No.	ITEM OF WORK	UNIT	PROPOSED COST			EFC APPROVED COST		
			QTY.	RATE (Rs.)	AMOUNT	QTY	RATE (Rs.)	AMOUNT
	mechanical means including cutting and transporting the earth to site of embankment/dumping area with lead upto 1000 metres, including trimming bottom and side slopes in accordance with requirements of lines, grades and cross sections.							
20	Construction of Sub-grade with approved material obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacted to meet requirement of Table 300.2 with lead up to 1000m as per Technical Specification Clause 303.1	Cum	3375.00	344.70	11.63	3375.00	189.30	6.39
21	Construction of granular sub-base by providing close graded Material, mixing in a mechanical mix plant at OMC, carriage of Mixed material to work site, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface, mixing by mix in place method with front end loader at OMC, and compacting with vibratory roller to achieve the desired density, complete a per clause 401	Cum	1350.00	4514.00	60.94	1012.50	4481.20	45.37
22	Providing laying spreading and compacting graded stone aggregate to wet mix macadam specification including premixing the Material with water at OMC in mechanical mix plant carriage of mix plant carriage of mixed Material by tipper to site, laying in uniform layers with grader in sub - base / base course on well prepared surface and compacting with vibratory roller to achive the desired density		1687.50	4898.00	82.65			0.00
23	Laying of Granular sub-base by providing well-graded material, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface				0.00	1323.00	4410.20	58.35
24	Laying of finner material with PI less than 10 and Free swell index less than 35% and with CBR of minimum 7 %				0.00	567.00	243.30	1.38
25	Stabilization of in-situ (pavement crust) or soil or otherwise sub base/ base course up to the required depth by cold in-situ recycling using cement and chemical additives / otherwise: Providing pulverizing, spreading, milling and mixing of chemical additives at the appropriate rate as per job mix design in accordance with IRC:SP-72-2015 , IRC-37-2012 & 2018 and IRC SP 89 (part II) 2018. (Min thickness of FDR shall not be less than the thickness mentioned in DPR, However FDR Thickness will be based on Design Mix.)				0.00	1890.00	2793.04	52.79
26	Providing and laying Primer coat with Bitumen emulsion (SS-1) on prepared surface of granular base including clearing of road surface and spraying primer at the rate of 0.70-1.0 kg/Sqm using mechanical means as per technical Specification Clause-502	Sqm	6750.00	85.80	5.79	6750.00	42.70	2.88
27	Providing and applying tack coat with Bitumen emulsion (VG-10) using emulsion	Sqm	6750.00	12.40	0.84	6750.00	12.40	0.84

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

(Rs. In Lacs)

S. No.	ITEM OF WORK	UNIT	PROPOSED COST			EFC APPROVED COST		
			QTY.	RATE (Rs.)	AMOUNT	QTY	RATE (Rs.)	AMOUNT
	Distributor at the 0.20-0.25 kg per sqm on the prepared Bituminous/Granular Surface cleaned with hydraulic broom as per Technical Specification -503							
28	Providing and laying paving fabric with physical requirements as per Table 700-16 over a tack coat of paving grade Bitumen 80-100 penetration, laid at the rate of 1 Kg/sqm over thoroughly cleaned and repaird surface to provide a water resistant membrance and crack retarding layer. Paving fabric to be free of wrinkling and folding and to be laid before cooling of tack coat, brooming and rolling of surface with pneumatic roller to maximize paving fabric contact with pavement surface.	Sqm			0.00	6750.00	284.00	19.22
29	Dense Graded Bituminous Macadam (Providing and laying dense bituminous macadam with 100-120 TPH batch type HMP producing an average output of 75 tonnes per hour using crushed aggregates of specified grading, premixed with bituminous binder @ 4.0 to 4.5% by weight of total mix of mix and filler, transporting the hot mix to work site, laying with a hydrostatic paver finisher with sensor control to the required grade, level and alignment, rolling with smooth wheeled, vibratory and tandem rollers to achieve the desired compaction as per MoRTH specification clause No. 507 complete in all respects.)	Cum	708.75	12258.90	86.88	405.00	12230.20	49.53
30	Providing and laying bituminous concrete with 100-120 TPH batch type hot mix plant producing an average output of 75 tonnes per hour using crushed aggregates of specified grading, premixed with bituminous binder @ 5.4 to 5.6 per cent of mix and filler, transporting the hot mix to work site, laying with a hydrostatic paver finisher with sensor control to the required grade, level and alignment, rolling with smooth wheeled, vibratory and tandem rollers to achieve the desired compaction as per MORTH specification clause No. 509 complete in all respects	Cum	270.00	14481.90	39.10	270.00	14482.80	39.02
31	Providing and fixing of retro-reflectorized cautionary, mandatory and informatory sign as per IRC:67 made of encapsulated lens type reflective sheeting vide Clause 1701.2.3 fixed over aluminium sheeting, 1.5 mm thick supported on a mild steel angle iron post 75 mm x 75 mm x 6 mm firmly fixed to the ground by means of properly designed foundation with M15 grade cement concrete 450 mm x 450 mm x 600 mm, 600 mm below ground level as per drawings and Technical Specification Clause 801. [RA-17]							
i	Hazard Markers	Nos.	15.00	4,739.89	0.90	19.00	4739.89	0.90
ii	Delineator	Nos.	301.00	1,183.00	3.56	0.00	1183.00	0.00
iii	Warning Signs	Nos.	9.00	5,453.68	0.49	9.00	5453.68	0.49
iv	Stop Sign (900mm Octagonal)	Nos.	3.00	8,326.68	0.25	3.00	8326.68	0.25
v	Chevron Signs	Nos.	2.25	5,007.56	0.11	2.25	5007.56	0.11

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

(Rs. In Lacs)

S. No.	ITEM OF WORK	UNIT	PROPOSED COST			EFC APPROVED COST		
			QTY.	RATE (Rs.)	AMOUNT	QTY	RATE (Rs.)	AMOUNT
vi	Mandatory Signs 600 mm	Nos.	3.60	4,855.88	0.17	3.60	4855.88	0.17
32	Providing and laying of hot applied thermoplastic compound 2.5 mm thick including reflectorising glass beads @ 250 gms per sqm area, thickness of 2.5 mm is exclusive of surface applied glass beads as per IRC:35. The finished surface to be level, uniform and free from streaks and holes	Sqm	168.75	618.00	1.04	168.75	618.00	1.04
33	Providing and fixing of road stud (Cat Eye) 100 x 100 mm die cast in aluminium, resistant to corrosive effect of salt and grit, fitted with lense reflectors, installed in concrete or asphaltic surface by drilling holes 30 mm upto a depth of 600 mm and bedded in a suitable bituminous grout or epoxy mortar, all as per BS:873 (Part 4) 1973.	Nos.	1,502.00	283.79	4.26	202.00	283.79	0.57
34	MEDIAN (2 M Wide = 2477 M)				71.32			67.05
35	MEDIAN APPROACH ROAD (2 M Wide = 485 M)				12.96			12.18
36	PARKING (8555 SQM)				289.57			272.77
37	CULVERT (24 m x8 m x3 m = 14 Nos)				551.34			581.26
38	BARBED WIRE FENCING (2.25 M Height, 7677 M Length, 2719 Nos Struts)				48.25			45.31
39	STORM WATER DRAIN (1.5x1.5 Box Drain = 7624 M)				1795.06			1728.41
40	SERVICE (MEP) TRENCH (2x2.5 Box Trench = 8345.44 M)				2975.35			2866.45
	TOTAL - "A"				8263.37			7855.56
B	BUILDING WORKS							
(i)	ADMINISTARTIVE BUILDING (Covered Area = 2900 Sqm)				1070.75			950.65
(ii)	FIRE STATION (Covered Area = 1114.9 Sqm)				430.04			367.20
(iii)	TOILET BLOCK (Covered Area = 160 Sqm)				36.36			39.05
(iv)	WASTE MANAGEMENT BLOCK (Covered Area = 220 Sqm)				56.48			55.93
(v)	PUMP ROOM (Covered Area = 150 Sqm)				38.63			38.25
(vi)	GATE -24 M WIDE				36.37			36.37
	TOTAL - "B"				1677.66			1487.46
C	EXTERNAL DEVELOPMENT WORKS							
(i)	LANDSCAPING (Total Area = 37031 Sqm)				70.17			45.71
(ii)	PARK- BOUNDARY WALL (485 M Length)				66.28			62.83
(iii)	CHOURAHA'S (01 Nos)				9.42			6.64
(iv)	EXTERNAL SIGNAGES				34.37			30.94
(v)	OVER HEAD TANK (1 NOS. 900 KLD)				78.88			76.88
(vi)	ELECTRICAL WORKS (STREET LIGHTING WORK, INTERNAL ELECTRICAL WORKS FOR UTILITY BUILDINGS,FASCADE LIGHTING FOR GATE,CCTV, SOLAR PHOTOVOLTIC POWER PLANT (250kWp) (To Be Done By UPEIDA)				510.80			462.05
(vii)	EXTERNAL PLUMBING WORKS				510.64			497.08
	TOTAL - "C"				1280.56			1182.12
	TOTAL (A+B+C)				11221.58			10525.14
D	Less 5% For Competitive Price Efficency				0.00			-526.26
	Total				11221.58			9998.88
E	GST @ 18%		11221.58	18.0%	2019.89	9998.88	18.00%	1799.80
F	CONTINGENCY @ 1%		11221.58	1.0%	112.22	9998.88	1.00%	99.99
G	LABOUR CESS @ 1 %		11221.58	1.0%	112.22	9998.88	1.00%	99.99
H	AGENCY CHARGES @ 2%		11221.58	2.0%	224.43	9998.88	2.00%	199.98
I	SUPERVISION CHARGES @ 2%		11221.58	2.0%	224.43	9998.88	2.00%	199.98
J	BIODIVERSITY & CONSERVATION CHARGES @1%		11221.58	1.0%	112.22			0.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

(Rs. In Lacs)

S. No.	ITEM OF WORK	UNIT	PROPOSED COST			EFC APPROVED COST		
			QTY.	RATE (Rs.)	AMOUNT	QTY	RATE (Rs.)	AMOUNT
K	GST ON BIODIVERSITY CONSERVATION CHARGES @18%		112.22	18.0%	20.20			0.00
L	MAINTENANCE COST FOR 5 YEARS @ 2.5%		11221.58	2.5%	280.54	9998.88	2.50%	249.97
M	ADD GST ON MAINTENANCE COST @18%		280.54	18.0%	50.50	249.97	18.00%	44.99
N	THIRD PARTY QUALITY ASSURANCE 0.5% UPTO 50 CR.				0.00	5000.00	0.50%	25.00
O	THIRD PARTY QUALITY ASSURANCE 0.3% ABOVE 50 CR.				0.00	4998.88	0.30%	15.00
	Total				**14378.22**			**12733.58**
P	**ESTIMATE OF UPPCL Deposit Work**							
(i)	33/11 KV, 2x10 MVA SUB-STATION & 33 KV Feeder Line (To Be Done By UPPCL on Deposit Basis)				1847.80			1505.49
	TOTAL OF UPPCL WORK "P" WITHOUT TAXES				**1847.80**			1505.49
(ii)	**GST @ 18%**		1847.80	18.00%	332.60	1505.49	18.00%	270.99
(iii)	**LABOUR CESS @ 1 %**		1847.80	1.00%	18.48	1505.49	1.00%	15.05
	TOTAL OF UPPCL WORK "P" WITH TAXES				**2198.88**			**1791.54**
	TOTAL PROJECT COST IN LAKHS				**16577.10**			**14525.11**
	TOTAL PROJECT COST IN CR.				**165.77**			**145.25**

समिति द्वारा निम्नवत् निर्देश भी दिये गयेः–

5.1 प्रायोजना में भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य डी0एस0आर0 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं। प्रायोजना की अपरिहार्यता के दृष्टिगत इन कार्यों की लागत का परीक्षण कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर किया गया है। प्रभाग का मत है कि स्वीकृति के पश्चात इन कार्यों का विस्तृत आगणन गठित किया जाये एवं तत्पश्चात आवश्यकतानुसार व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

5.2 प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में अनुमानित 40 एम0एस0ए0 के आधार पर अतिरिक्त मार्ग हेतु क्रस्ट डिजाइन का प्रावधान किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्वयं को संतुष्ट करते हुए मार्गों की उपयोगिता के दृष्टिगत मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग/ आई0आर0सी0/मोर्थ की विशिष्टियों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित है।

5.3 वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– बी–2–2528/दस–2014–10/77, दि0 26 अगस्त, 2014 के प्रस्तर–5 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाये।

5.4 प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग/नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था का है।

5.5 दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं0-5/2021/फाइल सं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized Guidelines and Standards for Universal Accessibility in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.6 वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

5.7 वित्त विभाग के शासनादेश सं0-2/2026/ ए-2-आई/ 1172817/ 2025/दस-2025, दिनांक 02-01-2026 द्वारा विभिन्न भवनों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्डपार्टी क्वालिटी आडिट (TPQA) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा इस प्रायोजना हेतु भी सुनिश्चित किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

जाये।

5.8 वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस- 2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाये। यदि इस प्रकिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

5.9 वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रकिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।

5.10 प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

5.11 प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रशासकीय विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही प्रशासकीय विभाग का यह भी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।

दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED)हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट, ब्रिट व स्टील इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये। जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-2/2022 /ई- 8- 202 /दस-2022, दिनॉक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5.12 प्रायोजना में यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा कराये जाने वाले कार्यों यथा- इलेक्ट्रीसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इत्यादि कार्यों का प्रस्ताव/ आगणन यूपीडा द्वारा परामर्शी संस्था से बनवाया गया है। उक्त कार्यों की लागत का परीक्षण कर दिया गया है। परन्तु मत है कि उक्त कार्यों का अनुमोदन यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाये।

5.13 प्रायोजना में प्रस्तावित मार्ग की लेपित चौड़ाई एवं फारमेशन चौड़ाई इत्यादि तथा पक्के स्ट्रक्चर्स यथा-पुल, पुलिया, ड्रेन एवं रोड सेफ्टी इत्यादि का निर्माण IRC/लोक निर्माण विभाग के सुसंगत मानकों (Standards) के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

5.14 प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स राशि स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5.15 प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासनिक विभाग का होगा।

5.16 प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

5.17 प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

5.18 प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(कार्यवाही: कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन)

(बृजेश यादव)
निदेशक, पी0एफ0ए0डी0
सदस्य–संयोजक

(के0के0 श्रीवास्तव)
मुख्य अभियंता
(पी0एम0जी0एस0वाई0),
लो0नि0वि0– सदस्य
(मुख्य अभियंता (भवन) के
लिंक अधिकारी)

(रविन्द्र)
प्रमुख सचिव,
कृषि विभाग– सदस्य

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त
अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।